BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

CENTRAL ZONAL BENCH, BHOPAL

O.A NO. 59 OF 2024

IN THE MATTER OF

AMIT KUMAR & ANR. **…..APPLICANTS**

VERSUS

STATE OF RAJASTHAN & ORS. **….RESPONDENTS**

INDEX

S. No.	Particulars	Pg. No.
1.	Objection to the Joint Committee Report	2-5
2.	**Annexure A-1(colly):** Geotagged images showing the encroachments on Katli riverbed in villages Kotri Luharwas, Bhairamay Luharwas, and Guhala	6-7
3.	**Annexure A-2(colly):** True copies of the news articles showing the extent and the continuation of the ongoing illegal mining activities in the riverbed of Katli river	8-10

FILED BY:

Amit Kumar
Phone No. +91 9050487878
Email: amit0123.ac@gmail.com

Place - New Delhi
Date - 09.08.2024

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

CENTRAL ZONAL BENCH, BHOPAL

O.A NO. 59 OF 2024

IN THE MATTER OF

AMIT KUMAR & ANR. …..APPLICANTS

VERSUS

STATE OF RAJASTHAN & ORS. ….RESPONDENTS

OBJECTION TO JOINT COMMITTEE REPORT

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. That the above-captioned Application had been preferred before this Hon'ble Tribunal regarding the revival of Katli River flowing through Sikar, Neem Ka Thana, Jhunjhunu, and Churu districts of Rajasthan.
2. That pursuant to the direction given by this Hon'ble Tribunal order dated 15.03.2024, a joint inspection was conducted by the joint committee and a report dated 30.07.2024 was submitted before this Hon'ble Tribunal.
3. That the applicants, at this stage, are filing a brief objection to the report of the Joint Committee, while reserving the liberty to file a more detailed response in the future, should it become necessary.

PRELIMINARY OBJECTIONS

4. The applicants respectfully submit that the report compiled by the Joint Committee has significant shortcomings regarding the identification and documentation of encroachments in the riverbed of the Katli River. The Tehsildars from various tehsils have failed to correctly and comprehensively report the extent of encroachments. During a recent visit by the applicants to villages such as Kotri Luharwas and Bhairamay Luharwas, clear evidences of ongoing encroachments was observed, which have not been mentioned in the report provided by the Tehsildar of Khandela. The geotagged images showing the encroachments on Katli riverbed in villages Kotri Luharwas, Bhairamay Luharwas, and Guhala are annexed as **Annexure A-1(colly)**.

It is further submitted that the encroachment area in Guhala village has been grossly underestimated in the Joint Committee report. The letter from the Tehsildar of Neem Ka Thana inaccurately reports the encroached area as only 0.60 hectares. However, based on the observations by the applicants, the actual area of encroachment is significantly larger. Geotagged image of the encroachment done by fencing in the Katli Riverbed in Guhala Village on an area of more than 0.60 Hectare is annexed in **Annexure A-1(colly)**.

5. That there is a serious oversight regarding the ongoing illegal mining activities in the Katli Riverbed. The Joint Committee report, along with the letters from the Mining Department annexed to it, fail to acknowledge and mention the continuation of these illegal mining activities in the riverbed. In fact, the report falsely claims that there is no ongoing illegal mining in the riverbed, which starkly contradicts the reality on the ground. That numerous news articles and on-the-ground reports consistently indicate that illegal mining operations are actively being conducted both day and night in the Katli Riverbed. These activities are carried out by a well-organized mining mafia, whose operations are not only unchecked but appear to be expanding. True copies of the news articles showing the extent and the continuation of the ongoing illegal mining activities in the riverbed of Katli river are annexed as **Annexure A-2 (colly)**.

POINTWISE OBJECTION TO THE JOINT COMMITTEE REPORT

6. The contents of para 1 and para 2 of the Report are a matter of record and hence, do not need a reply.
7. In response to the point 3 of the report, it is submitted that the Joint Committee's report relies heavily on the submissions of various Tehsildars from the regions through which the Katli/Kantali River flows; however, the applicants have identified significant discrepancies and omissions in these reports, which raise serious concerns about the accuracy and thoroughness of the Joint Committee's investigation. The report submitted by the Tehsildar of Khandela, District Sikar, dated 02/05/2024, claims that there are no encroachments in the Katli/Kantali River near villages such as Kotri Luharwas, Bhairamay Luharwas, and others. Contrary to these assertions, visible encroachments were observed by the applicants during a recent site visit on 06.08.2024 to the aforementioned villages, indicating a significant

oversight in the Committee's findings. Similarly, the report from the Tehsildar of Neem Ka Thana, District Neem Ka Thana, dated 01/05/2024, mentions an encroachment of only 0.60 hectares in Guhala village; however, based on the applicants' observations in the site visit on 06.08.2024, the extent of encroachment in Guhala village is significantly larger than reported. This underreporting undermines the integrity of the Joint Committee's findings and fails to capture the true extent of the issue. Furthermore, the Joint Committee did not comprehensively list all the encroachments reported by them and instead relied predominantly on the Tehsildars' records, thereby neglecting the critical on-ground realities observed.

It is further submitted that the Joint Committee's report mentions the construction of a paved road near Kalideh Mandir, village Bandawala Bhopalpura and the Bagholi-Neem Ka Thana Road obstructing the flow of the river. However, the report fails to account for several other similar paved and unpaved roads that have been constructed within the riverbed across various locations.

8. In response to point 4 of the report, it is submitted that the response from the Mining Department, as detailed in the Joint Committee report, appears inadequate and superficial, given the gravity of the ongoing illegal mining activities in the Katli River area. While the Mining Department has submitted records of penalties and compensations imposed on illegal mining activities, these actions are reactive rather than preventive. Despite the imposition of fines, these illegal activities continue unabated, suggesting that the penalties are not a sufficient deterrent.

It is further submitted that the annexed letters from the Mining Department, on which the Joint Committee has relied, fail to address the issue of repeated violations by certain offenders. The absence of any mention of specific actions taken against repeat offenders raises concerns about the effectiveness of the enforcement measures. Simply collecting penalties and compensations without holding habitual violators accountable does little to resolve the underlying problem. The lack of proactive measures to prevent further illegal mining and the omission of any discussion on the consequences for repeat offenders in the correspondence indicate a serious lapse in addressing the ongoing environmental degradation caused by these activities.

9. In response to point 5 of the report, it is submitted that the report does not fully address the complexities of these challenges. The recommendation to remove illegal encroachments is sound, the implementation of this directive must be thorough and transparent. As noted earlier, the reports from various Tehsildars do not fully capture the extent of encroachments observed by the applicants during site visits. The reliance on these incomplete reports could undermine the efficacy of any efforts to remove encroachments, leading to only partial restoration of the riverbed. While the joint committee report rightly suggests that the Water Resource Department should prepare a detailed project report for the river's rejuvenation, the recommendations lack specificity on how to address the ongoing illegal mining activities effectively. It is further submitted that the Committee notes the presence of deep holes in the riverbed and signs of illegal mining near several villages but offers no detailed strategy to tackle these persistent problems. Furthermore, the emphasis on regular raids and checks by the Mines Department is commendable, yet the report does not outline any concrete measures to ensure these actions will lead to sustained enforcement or how repeated offenders will be dealt with beyond imposing penalties. Hence, a more robust, long-term plan that includes strict enforcement, regular monitoring, and collaboration between multiple departments is essential to ensure the Katli/Kantali River is fully restored to its natural state and protected from any future degradation.

PRAYER:

In view of the above, it is most respectfully prayed that this Hon’ble Tribunal may be pleased to:

a. Direct the Joint Committee to file a supplementary report addressing the objections raised herein.
b. Pass such other and further orders as this Hon'ble Tribunal may deem fit and proper in the facts and circumstances of the case.

Amit

Amit Kumar
New Delhi
Dated: 09.08.2024

Annexure A-1 (colly)

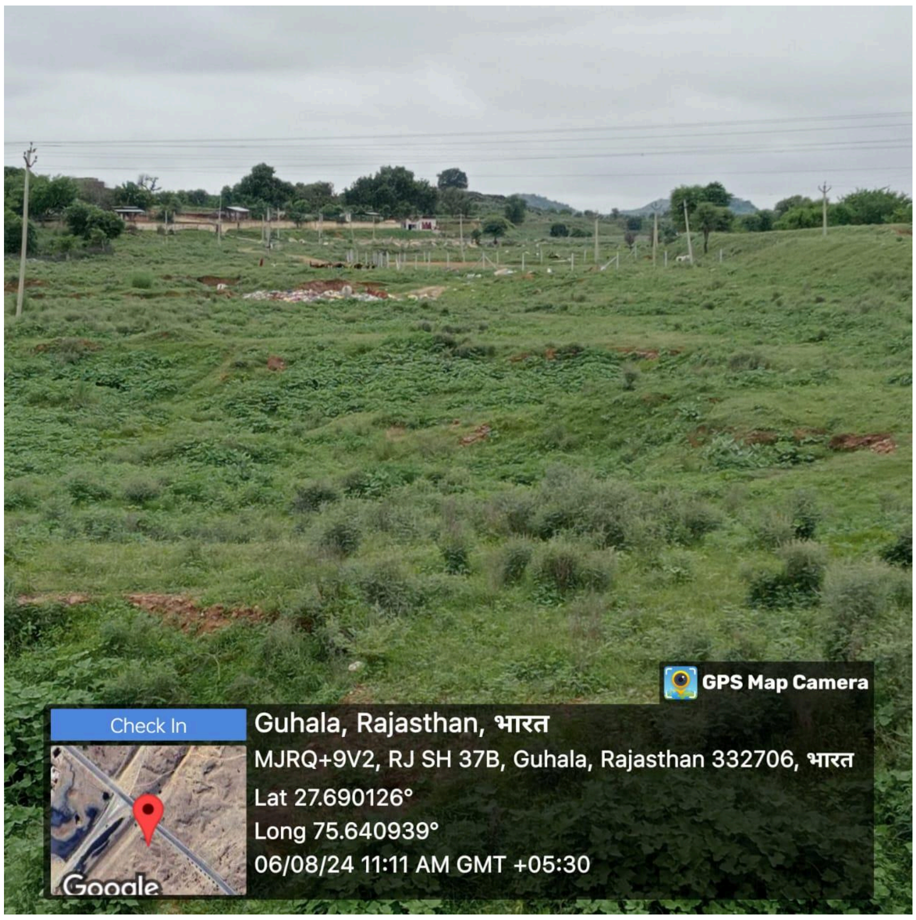

Image 1: Fenced encroachment in the riverbed of Katli River in Village Guhala (Neem Ka Thana)

Image 2: Encroached riverbed by making a road in the riverbed of Katli river to go to the stone crusher unit in village Bhaira Luharwas (Khandela, Sikar).

Image 3: Mining in operation on the bank of Katli river to which the road in image 4 connects.

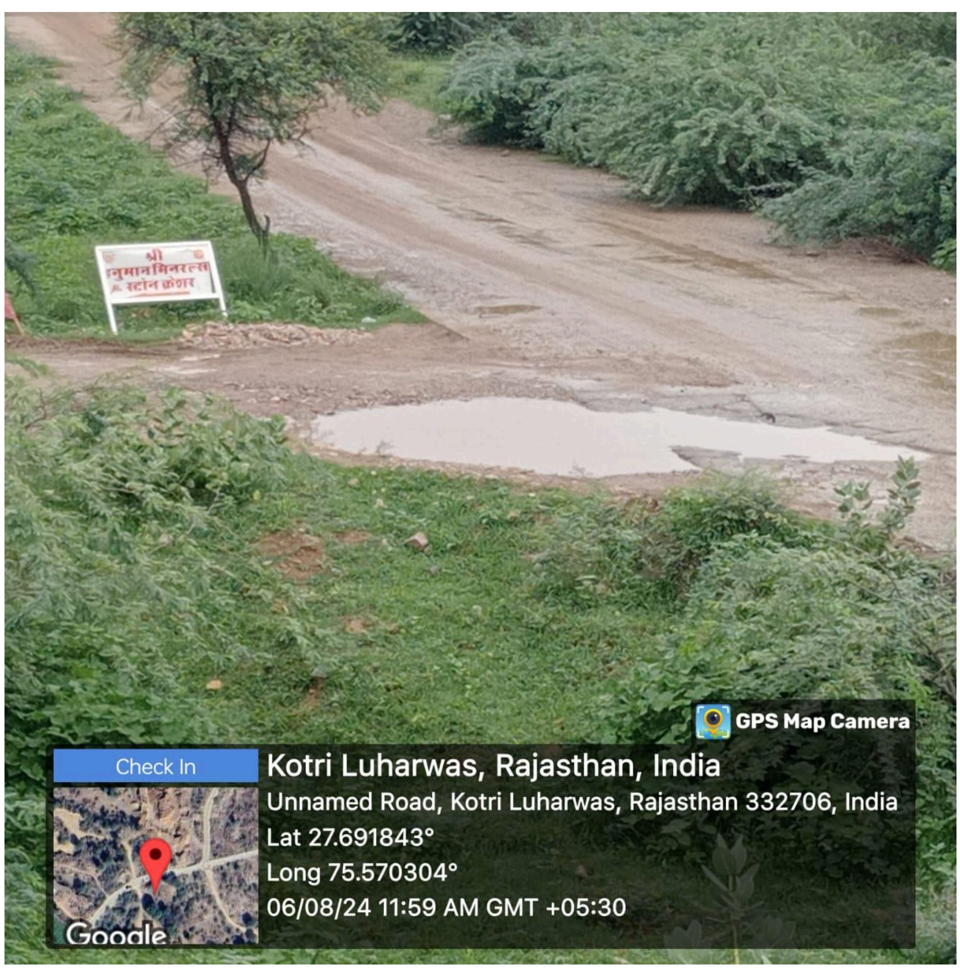

Image 4: Obstructed riverbed by making a road to go to the illegal ming or the Stone Crusher Unit in Kotri Luharwas Village.

Annexure A-2 (colly)

दैनिक भास्कर नीमकाथाना भास्कर 30-06-2024

बाघोली. पापड़ा रपटे के पास बालाजी के मंदिर के पास अवैध खनन के कारण बना गहरा गड्ढा व पास से गुजर रही रोड से हादसे की आशंका।

काटली नदी क्षेत्र में हो रहा अवैध खनन, शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं

बाघोली का मामला, रात को जेसीबी मशीन चलाकर ट्रैक्टर-ट्रॉली में भरकर दूसरी जगह भेज रहे बजरी

भास्कर न्यूज़ |बाघोली

क्षेत्र में इन दिनों काटली नदी क्षेत्र में अवैध रूप से खनन किया जा रहा है। रात्रि को जेसीबी मशीन चलाकर ट्रैक्टर-ट्रॉली में बजरी भरकर दूसरी जगह भेज रहे हैं। चार दिन से पापड़ा रपटे के पास बालाजी मंदिर के पीछे जेसीबी चला कर रात्रि को खनन माफिया बजरी निकल रहे हैं।

इसकी शिकायत राजीवपुरा के गणेश सैनी ने लिखित में तहसीलदार को दी थी। तहसीलदार ने मणकसास के पटवारी को पाबंद कर अवैध बजरी खनन रोकने के लिए कहा था, लेकिन तीन दिन बीतने के बाद भी कोई मौके पर नहीं आया। खनिज विभाग के अधिकारियों ने भी अवैध बजरी खनन पर कोई कार्रवाई नहीं की। बालाजी मंदिर के पीछे 50-60 फीट की गहरी खदान बनाकर बजरी निकाली जा रही है। इसके चलते मंदिर की दीवार कभी भी गिर सकती है। वहीं बालाजी मंदिर के पीछे से कुंभाराम लिफ्ट परियोजना की पाइप लाइन पापड़ा पचलंगी की तरफ जा रही है। उसे भी बजरी निकाल कर बाहर निकाल दिया गया। वह भी कभी भी टूट सकती है। अवैध बजरी खनन करने वाले माफिया भी राजीवपुर क्षेत्र के ही बताए जा रहे हैं।

इससे पहले भी खनन माफिया ने सड़क के किनारे बजरी निकाल कर 50-60 फीट तक गहरे गड्ढे बना दिए। बरसात में कई बार सड़क टूट चुकी है। इसे लेकर पीडब्ल्यूडी ने भी कोई कार्रवाई नहीं की है। शिकायतकर्ता ने प्रशासन से बालाजी के मंदिर पीछे निकल रही बजरी को रोकने की मांग की है। इधर, मामले में मणकसास हलका पटवारी हंसराज का कहना है कि उसे लोगों द्वारा तहसीलदार को दिए गए ज्ञापन की कॉपी मिली है। मौके पर जाकर देखूंगा और लोगों को पाबंद करूंगा।

बाघोली से पापड़ा पचलंगी जाने वाली सड़क निर्माण का कार्य हुआ तेज

बाघोली | बाघोली नदी बस स्टैंड से पापड़ा पचलंगी होती हुई गुहाला को जोड़ने वाली 10 किलोमीटर सड़क का प्रगति पर कार्य चल रहा है। बाघोली से पापड़ा के रपटे तक काटली नदी की तरफ 50 फीट नीचे गहराई की दीवार निकालने व पापड़ा नदी पर पुलिया का काम तेज गति से चल रहा है। यह सड़क टू लाइन में सीमेंट रोड़ी डालकर मजबूत बना रहे हैं। काटली नदी के किनारे पहले वाली सड़क की साइड में खनन माफियों ने बजरी निकाल कर सड़क को खोखली कर देने से कई जगह सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी। बिजली के पोल भी टूट गए थे। प्रशासन ने भी

प्रभावशाली लोगों का होने से कुछ भी नहीं किया।

इसके चलते नदी की तरफ गहराई पर दीवार उठानी पड़ रही है। जिसका खर्चा भी अधिक आएगा।

Dainik Bhaskar - Neem Ka Thana - 30 June 2024: News article reporting the ongoing illegal mining in the riverbed of Katli River near Bagholi

अनदेखी | बजरी निकालते हुए जगह-जगह कर दिए गड्ढे, नीमकाथाना से दूरी नाम मात्र की, निगरानी का जिम्मा खनिज विभाग के पास

चार जिलों की नजर फिर भी काटली नदी में धड़ल्ले से हो रहा अवैध खनन

पत्रिका अरुण शर्मा patrika.com

पचलंगी. क्षेत्र की लाइफ लाइन कही जाने वाली काटली नदी अवैध बजरी खनन की भेंट चढ़ रही है। नदी चार जिलों से होकर गुजरती है, इसके बावजूद अवैध खनन पर प्रशासन मौन है। राजस्व व खनिज विभाग के मापदंड के अनुसार 3 मीटर गहराई से नीचे होने वाले खनन को अवैध माना जाता है। जबकि नदी में 60 से 70 फीट गहरे गड्ढे कर दिए गए। नदी सीकर, झुंझुनूं, चूरू व नीमकाथाना जिलों से होकर गुजरती है। काटली में जहां बजरी का अवैध खनन हो रहा है, उसका बड़ा हिस्सा नीमकाथाना जिले में आता है। नदी से अब जिला हेड क्वार्टर नीमकाथाना की दूरी मात्र 10 किलोमीटर है। इसके बावजूद निगरानी का जिम्मा झुंझुनूं के खनिज विभाग के पास है। जबकि झुंझुनूं की दूरी 70 से 80 किलोमीटर है। नदी में अवैध खनन करने वाले ग्राहकों को मनमाने दामों पर बजरी बेच रहे हैं। काटली के बहाव क्षेत्र से गुजरने वाले सड़क मार्ग, बिजली सप्लाई लाइन, कुंभाराम लिफ्ट परियोजना व गांव व कस्बों की पेयजल सप्लाई लाइन भी आए दिन क्षतिग्रस्त रहती है।

जिम्मेदार नहीं मान रहे अवैध खनन: नदी के अवैध खनन पर रोक के लिए प्रशासन, खनिज, राजस्व, वन विभाग व पुलिस की निगरानी है। इन सभी का रटा रटाया जवाब रहता है कि यदि कहीं कोई शिकायत है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

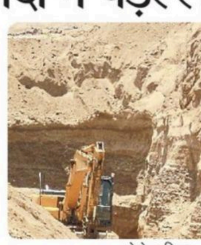

काटली नदी क्षेत्र के बागोली गांव और जोधपुरा में चल रहा अवैध खनन। फोटो: पत्रिका

मनमर्जी से वसूल रहे बजरी के दाम

काटली नदी में अवैध खनन करने वाले ग्राहकों से मनमर्जी से बजरी के दाम वसूल रहे हैं। 10 चक्का डंपर भराई के 10 से 11 हजार, 12 चक्का डंपर के 14 से 15 हजार व ट्रैक्टर-ट्रॉली के तीन हजार रुपए लिए जाते हैं। आने-जाने का किराया अलग से होता है।

काटली नदी में अवैध खनन रोकने के लिए प्रशासन, राजस्व, खनिज, पुलिस, परिवहन व वन विभाग की ओर से समय-समय पर कार्रवाई की जाती है। कोई शिकायत है तो जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

-देवेंद्र चौहान, सहायक अभियंता खनिज विभाग खेतड़ी।

काटली नदी में अवैध खनन रोकने के लिए समय-समय पर विभागों की ओर से संयुक्त कार्रवाई की जाती है।

-छगनलाल, कार्यवाहक जिला खनिज अधिकारी व जिला विजिलेंस अधिकारी खनिज विभाग झुंझुनूं।

Rajasthan Patrika - 02 May 2024: News article reporting the ongoing illegal mining with photograph in village Bagholi, in the riverbed of Katli River

चिड़ावा भास्कर 17-06-2024

अवैध खनन • पापड़ा, पचलंगी, जोधपुरा, बाघोली आदि गांवों में बजरी खनन की भेंट चढ़ गई नदी

तीन दशक पहले 500 मीटर तक चौड़ाई में उफान खाती थी अब बजरी की खदानों में ही कैद रह जाती है काटली नदी

मनोज खेदड़ | गुढ़ागौड़जी

शेखावाटी क्षेत्र की भागीरथी कही जाने वाली काटली नदी जो करीब तीन दशक पहले बरसात के दिनों में लगभग आधा किलोमीटर तक चौड़ाई में पूरे वेग के साथ उफनती हुई बहती थी। अब बजरी की खदानों में ही कैद होकर दम तोड़ देती है। इसी कारण काटली अब सिर्फ यादों और किस्सों में ही रह गई है। पापड़ा, पचलंगी, जोधपुरा, बाघोली, सुनारी आदि गांवों में बजरी के अवैध खनन और कई स्थानों पर अतिक्रमणों की भेंट यह नदी चढ़ चुकी है।

माफिया ने पानी के साथ पहाड़ों से बहकर आई बजरी के लिए नदी को इस कदर खोद डाला है कि अब बरसात के दिनों में नदी के बहाव क्षेत्र में आने वाला पानी इन खदानों के गहरे गड्ढों में ही कैद होकर रह जाता है। काटली नदी का उद्गम स्थल सीकर जिले में गणेश्वर की पहाड़ियां हैं। नदी नीमकाथाना, झुंझुनूं व चूरू जिलों में बहती थी। बजरी के लिए अवैध खनन के चलते काटली बुरी तरह प्रभावित है। नदी में गहरे गड्ढे बन गए हैं, जिससे इसका प्रवाह अवरुद्ध हो गया है।

बजरी खनन से काटली नदी के बहाव क्षेत्र में बन गई हैं गहरी खदानें

गुढ़ागौड़जी. माफिया द्वारा काटली नदी के बहाव क्षेत्र में अवैध रूप से बजरी खनन कर जेसीबी से ट्रकों व डंपरों में भरते हुए। (फाइल फोटो)

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने लिया था प्रसंज्ञान

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 15 मार्च 2024 को पांच सदस्यीय समिति गठित कर काटली बहाव क्षेत्र में अवैध रूप से हो रहे खनन और अतिक्रमणों के संबंध में रिपोर्ट मांगी थी। झुंझुनूं तहसीलदार ने एनजीटी को भेजी अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भड़ौंदा खुर्द में आठ प्रकरण, बगड़ में पांच, माखर में 15 तथा भड़ौंदा कलां में छह सहित 34 प्रकरण काटली नदी में अतिक्रमण के दर्ज हैं। इनको बेदखली के आदेश जारी किए जा चुके हैं। गुढ़ागौड़जी तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में भाटीवाड़, केड व खटकड़ में काटली नदी पर कोई अतिक्रमण नहीं माना तथा नाटास व मैनपुरा में अतिक्रमण के प्रकरण उच्च न्यायालय में विचाराधीन बताए हैं।

काटली नदी डेढ़-दो महीने तक तो पूरे परवान पर होती

अब तो सिर्फ बुजुर्गों से ही सुनते हैं कि कभी इस इलाके में काटली नदी डेढ़-दो महीने तक तो पूरे परवान पर होती थी। करीब आधा किलोमीटर तक चौड़ाई में क्षेत्र को अपने आगोश में लिए बहती थी। कई जगहों पर तो इसकी चौड़ाई करीब एक किलोमीटर तक होती थी। बरसात के दिनों में नदी के दोनों ओर के तटवर्ती गांवों-कस्बों से लोगों का आवागमन बंद हो जाता था। इससे इन गांवों के लोगों का आपस में संपर्क टूट जाता था। कोई अनहोनी नहीं हो इसके लिए गांवों में तैराक नदी किनारे खड़े रहते थे।

20 कोस तक कुओं में रहता था अच्छा पानी

काटली नदी बहने के दौरान इससे 20 कोस तक स्थित कुओं में अच्छा जलस्तर रहता था। अब जलस्तर भी काफी नीचे चला गया है। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि अधिकांश गांवों के कुओं में सिंचाई के लिए तो दूर, लोगों को पीने तक के लिए पानी नहीं मिल रहा है। भाटीवाड़ के पूर्व सरपंच विजयपाल भाटीवाड़ बताते हैं कि उनका खेत काटली के मुहाने पर ही है। खेत में जब प्यास लगती थी तो 3 से 5 फीट गहरा गड्ढा खोदने पर पानी निकल आता था। आज पानी दो सौ फीट से भी ज्यादा नीचे चला गया है।

Dainik Bhaskar - Chirawa - 17 June 2024: News article reporting the ongoing illegal mining with photograph in the riverbed of Katli River

नीमकाथाना भास्कर 19-05-2024

भास्कर ग्राउंड रिपोर्ट • टीम ने दो दिन तक बहाव क्षेत्र का जायजा लिया, बेखौफ हो रहा खनन, 20 से 25 फीट गहरे गड्ढे हो गए हैं नदी में

काटली नदी हुई छलनी; रोज 30 लाख रुपए की बजरी खोद रहे खनन माफिया के लोग, अब इसका दोबारा बहना मुश्किल

बिजेंद्र सिंह शेखावत | सीकर

बजरी माफिया ने काटली नदी को छलनी कर दिया है। कुछ साल पहले तक सीकर, नीमकाथाना, झुंझुनूं जिले के गांवों से होकर चूरू के राजगढ़ तक बहने वाली इस नदी से माफिया अवैध तरीके से रोज करीब 30 लाख की बजरी निकाल रहा है। लगातार अवैध खनन के कारण नदी में सैकड़ों गहरे गड्ढे बन गए हैं। कई गड्ढे तो 20 से 25 फीट तक गहरे हैं।

भास्कर टीम ने दो दिन तक काटली नदी के बहाव क्षेत्र में आने वाले गुहाला (नीमकाथाना) से नवरंगपुरा (झुंझुनूं) तक करीब 22 किमी के एरिया में बन चुके गड्ढों को देखा। कई जगह तो माफिया के लोग मशीनरी की मदद से दिन में भी बेखौफ होकर बजरी निकालते मिले। नदी एरिया में माइनिंग की लीज जनवरी में खत्म हो चुकी है। विभाग के मुताबिक खेतड़ी तहसील के कांकरियां में एक लीज है, इसका कुछ हिस्सा काटली में आता है। सबसे ज्यादा खनन झुंझुनूं जिले में हो रहा है। झुंझुनूं के गुहाला, बाघोली, पचलंगी, कांकरिया, दीपपुरा, चंवरा कैंप तक करीब 40 किलोमीटर एरिया में जगह-जगह पर गहरे गड्ढे बन गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि काटली नदी अब कभी नहीं बहेगी, क्योंकि इसके कैचमेंट एरिया में गहरे गड्ढे हो गए हैं।

लाइव: 3 जिलों के एक दर्जन गांवों में हो रहा खनन, 1200 फीट घटा भू-जल स्तर

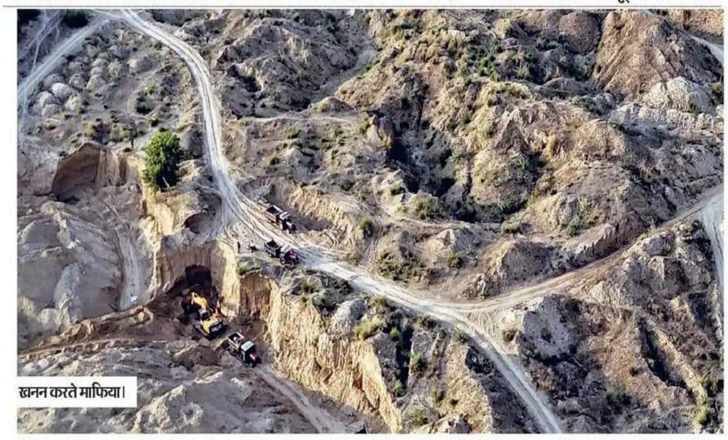

खनन करते माफिया।

चौकड़ी (सीकर), गुहाला (नीमकाथाना) सहित झुंझुनूं के एक दर्जन गांवों से गुजरने वाली काटली नदी में बजरी माफिया सक्रिय हैं। भास्कर पड़ताल में सामने आया कि चौकड़ी व गुहाला के अलावा बजरी का अवैध खनन झुंझुनूं के बाघोली व पचलंगी में चल रहा है। इनके अलावा पापड़ा, मणकसास, जोधपुरा, कांकरिया, नवरंगपुरा, गुढा ढहर, नेवरी, ढहर, दीपपुरा व चंवरा क्षेत्र में काटली से बजरी का बेखौफ खनन किया जा रहा है।

तीन दशक पहले तक नदी के बहने से क्षेत्र में खुशहाली थी क्योंकि नदी के कारण पानी की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जबसे काटली सूखी है, तब से इलाके के बड़े हिस्से में भू-जल काफी नीचे चला गया है। इससे क्षेत्र में खेती की जमीन बंजर हो गई है। सीकर, नीमकाथाना व झुंझुनूं तीनों जिलों के दर्जनों गांवों में भू-जल स्तर एक हजार से 1200 फीट तक नीचे चला गया है। इस क्षेत्र में बसने वाली आबादी का जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।

उदयपुरवाटी तहसील में काटली नदी में कोई बजरी की लीज नहीं हैं, जहां खनन किया जा रहा हो। बाघोली, पंचलंगी, पापड़ा में खनन हो रहा है तो वो अवैध होगा। जांच करवाकर कार्रवाई की जाएगी।
छगनलाल सैन, एमई झुंझुनूं

अवैध बजरी खनन के जिम्मेदार ये तीन विभाग

खनन विभाग: काटली नदी के जख्मों के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी खनन विभाग की बनती है। विभाग के अधिकारी और कार्मिकों की अनदेखी से बजरी माफिया पनप रहा है। विभाग के साथ गठजोड़ से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि नदी से माफिया रात और दिन बजरी निकाल रहा है। विभाग पर फौरी कार्रवाई के भी आरोप लगते रहे हैं। अवैध बजरी खनन रोकने के लिए विभाग के कड़े नियम हैं। बड़ी पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। लेकिन बड़े स्तर पर हो रहा खनन विभाग की लापरवाही को साफ दर्शा रहा है।

पुलिस: जिले में बढ़ते अवैध बजरी खनन के लिए पुलिस भी जिम्मेदार है। दिनभर डंपर और ट्रैक्टर ट्रॉलियां थानों के सामने से गुजरती हैं। लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। झुंझुनूं के पचलंगी में पुलिस चौकी है। उससे महज 500 मीटर दूरी पर काटली नदी का बहाव क्षेत्र है। वहां 24 घंटे माफिया बजरी निकालते हैं। इसी तरह चौकी से पापड़ा आधा किमी, पचलंगी नदी एरिया से 2 किमी और बाघोली की दूरी चार किमी है। यहां रात और दिन बजरी का अवैध खनन किया जाता है। लेकिन पुलिस इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती।

परिवहन: काटली नदी से 100 से 125 ट्रैक्टर ट्रॉली बजरी परिवहन के उपयोग में लिए जा रहे हैं। इनका उपयोग कॉमर्शियल तौर पर नहीं किया जा सकता। क्योंकि इनका इस्तेमाल केवल खेती-किसानी के लिए ही किया जा सकता है। लेकिन फिर भी खनन की गई बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां रात-दिन सड़कों पर दौड़ रहीं हैं। लेकिन परिवहन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई नहीं करते। इससे भी अवैध बजरी खनन पनप रहा है।

<u>Dainik Bhaskar - Neem Ka Thana - 19 May 2024:</u> News article reporting the extent of the currently ongoing mining in the riverbed of Katli River

सीकर भास्कर 10-07-2024

एनजीटी के निर्देश पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किया सर्वे; काटली में 24 व कासावती में 20 खनन पॉइंट

काटली व कासावती के बहाव क्षेत्र में हैं 40+ खनन पॉइंट, एक किमी में सिमटी दोनों नदियां

भास्कर संवाददाता | सीकर

शेखावाटी की लाइफलाइन काटली व कासावती नदी के अस्तित्व अवैध खनन व अफसरों की अनदेखी के कारण खतरे में है। इस वजह से एनजीटी ने 12 जुलाई तक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व संबंधित विभागों को दोनों नदियों का सर्वे कर रिपोर्ट देने के लिए कहा था।

इस पर केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने खनिज विभाग, जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ दोनों नदियों के एरिया का सयुंक्त सर्वे किया। सूत्रों के अनुसार सर्वे पूरा कर रिपोर्ट कंपाइल की जा रही है। सर्वे की प्राथमिक रिपोर्ट में सामने आया है कि दोनों नदियों के बहाव क्षेत्र में दो दर्जन से ज्यादा स्टोन क्रेशर व 20 से ज्यादा अवैध लीज संचालित हैं। इसकी वजह से दो दशक पहले तक 115 किमी बहाव क्षेत्र वाली काटली नदी का बहाव क्षेत्र 2018 में सात किमी था और अब एक किमी तक सिमट चुका है। वहीं कासावती का भी बहाव क्षेत्र एक किमी से कम रह गया है। काटली नदी के उद्गम स्थल खंडेला की पहाड़ियों से लेकर झुंझुनूं के इस्लामपुर तक 30 किमी एरिया में 24 से ज्यादा जगह अवैध खनन पॉइंट हैं। वहीं, कासावती नदी के 25 किमी दायरे में 20 से ज्यादा अवैध खनन पॉइंट हैं।

एनजीटी के आदेश पर दोनों नदियों का सर्वे किया जा रहा है। प्रारंभिक सर्वे में काफी एरिया में अतिक्रमण व अवैध खनन सामने आया है। जल्द ही डिटेल रिपोर्ट एनजीटी को भिजवाई जाएगी।
प्रदीप कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

स्थानीय लोग बोले- नदी सूखी तो गिरा भू-जल स्तर, अब खेती छोड़ मजदूरी को मजबूर

- पापड़ा निवासी 84 वर्षीय मन्कोरी देवी ने भास्कर से बातचीत में बताया कि 25 साल पहले उनके गांव का भू-जल स्तर 50 फीट था। अब यहां पानी एक हजार फीट से भी ज्यादा गहराई में चला गया है। बताया कि इलाके के कई परिवार खेती व पशुपालन के लिए नदी के बहाव क्षेत्र के पानी पर निर्भर थे। पानी सूखने से ये काम बंद हो गए और अब ज्यादातर लोग मजदूरी के लिए बाहर निकल गए।
- मणकसास के 89 वर्षीय छोटू राम सांई ने बताया कि 25 साल पहले तक उनके गांव में भू-जल स्तर 40 फीट था। अब यहां पानी का लेवल 1100 फीट है। छोटूराम ने बताया कि जब भी नदी आती थी तो आस-पास के कुओं में पानी का लेवल 10 से 15 फीट तक आ जाता था। नदी का बहाव बंद होने के बाद करीब तीन हैक्टेयर खेत में 20 साल से सिंचित फसलों की खेती नहीं हुई। पशुपालन भी नहीं कर पा रहे हैं। मजदूरी के अलावा आय का दूसरा साधन नहीं बचा।

खनन से नदी के बहाव क्षेत्र में बने 100 फीट गहरे गड्ढे, लोग तारबंदी कर खेती भी कर रहे

काटली का उद्गम खंडेला के कोटड़ी की पहाड़ियों से होता है। इसमें सबसे ज्यादा अतिक्रमण व अवैध खनन पॉइंट बाघोली, पचलंगी, पापड़ा, नौरंगपुरा, चंवरा, काकंरिया में बने हुए हैं। अवैध खनन से बहाव एरिया में 60 से 100 फीट गहरे गड्ढे बन चुके हैं। कई जगह लोग नदी के बहाव एरिया में तारबंदी कर खेती करने लगे हैं। वहीं कासावती नदी का पानी गणेश्वर की पहाड़ि यों से निकलकर रायपुर पाटन बांध में गिरती है। लेकिन अवैध खनन की वजह से इस बांध में 10 साल से पानी नहीं आया है। इस वजह से निमोद, गांवड़ी, महावा सहित अन्य आस पास के इलाकों में पानी का संकट भी बना हुआ है। गौरतलब है कि नदी में अवैध खनन पर कैलाश मीणा ने एनजीटी में याचिका दाखिल की थी। उस पर सुनवाई के बाद एनजीटी ने केंद्रीय व राज्य प्रदूषण बोर्ड व सबंधित विभागों से रिपोर्ट मांगी थी।

<u>Dainik Bhaskar - Sikar - 10 July 2024:</u> News article reporting the presence of more than 24 mining points within a 30 km stretch of Katli River (From Khandela to Islampur in Jhunjhunu)